

मध्य प्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परचालन का सरलीकरण अधिनियम, 2023

चर्चा में क्यों?

25 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की वरचुअल बैठक में मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परचालन का सरलीकरण अध्यादेश, 2023 के स्थान पर मध्य प्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परचालन का सरलीकरण अधिनियम, 2023 को प्रस्तापित किये जाने के संदर्भ में निर्णय लिया।

प्रमुख बंदि

- औद्योगिक उपकरण या औद्योगिक इकाई द्वारा नविश आशय प्रस्ताव का आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में नोडल एजेंसी को किया जाएगा।
- नोडल एजेंसी द्वारा पूर्ण प्राप्त नविश आशय प्रस्ताव की अभिस्विकृति निर्धारित प्रारूप में जारी की जाएगी।
- एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल को नोडल एजेंसी नामांकित किया गया है, जो अभिस्विकृति प्रमाण-पत्र जारी करेगी।
- औद्योगिक उपकरण या औद्योगिक इकाई द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में उद्योग स्थापना के संबंध में प्राप्त की जाने वाली अनिश्चित सेवा, अनुमति, अभिस्विकृति प्रमाण पत्र प्राप्ति दिनांक से 3 साल अथवा औद्योगिक उपकरण या औद्योगिक इकाई के व्यवसायिक गतिविधि संचालन प्रारंभ किये जाने तक जो भी पहले हो, उन्मुक्त रहेगा। उक्त अवधि समाप्त होने के 6 माह के अंदर आवश्यक अनुमतियों, समतियों प्राप्त करेगा।
- जारी अभिस्विकृति प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि में कोई संक्षम प्राधिकारी अधिनियम में वर्णित अनुमतियों के संबंध में नरीक्षण नहीं कर सकेगा।
- इस अधिनियम में राज्य के पास अधिसूचित क्षेत्रों का चयन करने के प्रावधान होंगे जहाँ यह अधिनियम लागू किया जाएगा।
- इकाई के प्रारंभ होने के पूर्व इकाई द्वारा आवेदन किये जाने पर संबंधित विभाग अथवा एजेंसी द्वारा आवश्यक होने पर नरीक्षण कर अनुमति एवं सहमति दी जा सकेगी।
- राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से राज्य स्तरीय साधक समिति का गठन कर सकेगी। समिति संक्षम प्राधिकारी एवं औद्योगिक उपकरणों के साथ समन्वय कर विवाद का मैत्रीपूर्ण हल निकालेगी।